





आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 14 / 2021

तारीखरजू:- (19-1-21)

उनवान:- प्रहलाद बनाम उम्मेद वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
19-1-21	<p>वादीया की और से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.02.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>	<p style="text-align: right;"> $\frac{249-51}{19-1-21}$ </p>
24.2.21	<p>वादी वकील उप०/प्रतिवादी नम्बर 1, 2 की ओर से श्री - दिलावर सिंह सिन्हा ने कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 3 बम्बूद सूचना उप० नहीं, उनके विरुद्ध एक पक्षीपकार्यवाही की जाती है। जम्बूव पेश करने दि० 7.4.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>	
7.4.21	<p>वादी वकील/वकील समय बक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... (अज्ञात) पत्रावली गतानुसार दिनांक... 19.5.21... को पेश हो।</p>	
30.6.21	<p>लाकडाहन के कारण जनरल तारीख पेशी से पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी के वकील उपस्थित हुए। Not-Press का मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अतः यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुसार ठेकर नम्बर से कम ठेकर दाखिल दफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उपजिला अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली </p>	<p style="text-align: right;"> Not Press प्रमाण  </p>